



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं- 07662-241655

ई.मेल - deanmcrewa@rediffmail.com

वेबसाइट- www.ssmcrewa.ac.in

क्रमांक...../स्था/राज/एमसी/विज्ञप्ति/2026

रीवा, दिनांक.....

// विज्ञप्ति //

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1200-02/स्था/राज/2021, भोपाल, दिनांक 24.12.2021 द्वारा जारी नियम/निर्देशों के अंतर्गत श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा में वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से सीनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

दिनांक 07.05.2026 की स्थिति में

आवेदन करने की अंतिम तिथि:- दिनांक 18.05.2026, सायं 05:00 बजे तक

सीनियर रेसीडेन्ट:- (मासिक शिष्यावृत्ति रु. 90,803/-प्रतिमाह)

क्र.	विषय	कुल रिक्त पद	रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				ई.डब्ल्यू.एस.
			अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जनरल मेडिसिन	04	02	01	01	00	00
2.	आर्थोपेडिक्स	01	00	00	00	00	01
3.	रेडियोथेरेपी	02	01	01	00	00	00
4.	बाल्य एवं शिशु रोग	01	00	00	00	00	01
5.	रेडियाडायग्नोसिस	01	00	00	01	00	00
6.	एनाटॉमी	03	01	01	01	00	00
7.	फिजियोलॉजी	03	01	01	01	00	00
8.	फार्माकोलॉजी	03	01	01	01	00	00
9.	माइक्रोबायोलॉजी	03	01	01	01	00	00
10.	फॉरेंसिक मेडिसिन	03	01	01	01	00	00
11.	कम्युनिटी मेडिसिन	01	01	00	00	00	00
12.	बायोकेमेस्ट्री	03	01	01	01	00	00
13.	जनरल सर्जरी	04	01	02	00	00	01
14.	दंत रोग	01	00	01	00	00	00
योग		33	11	11	08	00	03

टीप:- पदों एवं विषयों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है, जिसकी जानकारी समय-समय पर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर उपलब्ध की जायेगी।

**आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया:-** आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2026, सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा होंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।

**आवेदन शुल्क:-** सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 700/- (सात सौ रूपए) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु.- 500/- (पांच सौ रूपए) राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा" (C.E.O. & Dean, S.S. Medical College, Rewa) के नाम देय हो, प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी। अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन के साथ पृथक-पृथक डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पेज...02

**नियम एवं निर्देश:-** म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 2-42/07/01/55, भोपाल, दिनांक 17.12.2021 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेन्ट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी:-

**1/सीनियर रेसीडेन्ट्स**

**पात्रता:-**

- सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

**अपात्रता:-**

- एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

**चयन विधि:-**

- अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
- चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।
- चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
- विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मैरिट के अनुसार होगा।
- चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

**टेन्युअर (Tenure):-**

- 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर विशेष परिस्थिति में आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है, किन्तु अंतिम निर्णय अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख को होगा।
- विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभास से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

- iii. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

**आरक्षण:-**

- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेन्सी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

**अवकाश:-**

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

**3/प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन:-**

- सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।
- जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेन्सी की पात्रता रहेगी।

**चयन विधि:-**

- प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें सीनियर रेसीडेन्सी के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी, उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

**सीट का आरक्षण:-**

- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

**वेतन भत्ते:-**

प्रदर्शक/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

**अवकाश:-**

इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

**टीप:-**

जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

**यात्रा भत्ता:-**

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा, उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

**टीप:-** साक्षात्कार के समय समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

**अन्य शर्तें:-**

1. साक्षात्कार की तिथि एवं अन्य जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट ([www.ssmcrewa.ac.in](http://www.ssmcrewa.ac.in)) का प्रतिदिन अवलोकन करते रहें, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
2. संबंधित उम्मीदवार को आवेदन करते समय म.प्र. मेडिकल काउंसिल, भोपाल का पंजीयन अथवा पंजीयन करवाने की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संबंधित उम्मीदवार को आवेदन करते समय स्थायी अथवा अस्थायी (प्रोविजनल) डिग्री की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
4. इस संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
5. यू.जी./पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण न होने/कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत न करने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे।
6. अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थी को अपने मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक की न्यूनतम आयु की गणना दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में की जावेगी।

(डॉ. सुनील अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 07/05/26

पृ.क्र. 10514-20/स्था/राज/एम.सी./2026

**प्रतिलिपि:-**

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक, स्थापना (राजपत्रित), लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, म.प्र. भोपाल।
4. संयुक्त संचालक सह-अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
6. कार्यालय- पी.जी./यू.जी. एवं कन्या छात्रावास नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)